

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 मई, 2018-वैशाख 14, शके 1940

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

मैं, डॉ. रोहित सिंह शुक्ला (पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह, माँ श्रीमती ममता शुक्ला), आयु 29 वर्ष, निवासी लाला का बाजार, शीतला माता मंदिर के सामने सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व नाम डॉ. रोहित सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह (दस्तावेजों में दर्ज) है जबकि मेरा पूरा एवं सही नाम डॉ. रोहित सिंह शुक्ला है भविष्य में मुझे डॉ. रोहित सिंह शुक्ला के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( रोहित सिंह )

(55-बी.)

नया नाम :

( रोहित सिंह शुक्ला )

पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह,  
निवासी- लाला का बाजार, शीतला माता मंदिर,  
लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

#### नाम परिवर्तन

हर आम/खास को सूचित किया जाता है कि शादी पूर्व मेरा नाम डॉ. किश्वर सुल्ताना पुत्री श्री अब्दुल अज़ीम सिद्दीक्री, वर्तमान निवासी भारत टॉकीज के पीछे, शिंदे की छावनी, लशकर, ग्वालियर था तथा यही नाम मेरे अंकसूची व दस्तावेजों में अंकित है तथा शादी उपरान्त मेरा नाम डॉ. अमरीन सुल्ताना खान पत्नी डॉ. अब्दुल जब्बार खान, वर्तमान निवासी भारत टॉकीज के पीछे, शिंदे की छावनी, लशकर, ग्वालियर हो गया था, किन्तु मेरा नाम पुनः डॉ. किश्वर सुल्ताना (पुत्री श्री अब्दुल अज़ीम सिद्दीक्री) पत्नी डॉ. अब्दुल जब्बार खान हो गया है और यही नाम मैं भविष्य में लिखती रहूँगी और इसी नाम से जानी-पहचानी जाती रहूँगी.

पुराना नाम :

( अमरीन सुल्ताना खान )

पत्नी डॉ. अब्दुल जब्बार खान.

(56-बी.)

नया नाम :

( किश्वर सुल्ताना )

पुत्री श्री अब्दुल अज़ीम सिद्दीक्री,  
पत्नी डॉ. अब्दुल जब्बार खान,  
वर्तमान निवासी-भारत टॉकीज के पीछे,  
शिंदे की छावनी, लशकर, ग्वालियर.

**नाम परिवर्तन**

मैं, अलीना रफीक शेख पुत्री मोहम्मद रफीक शेख, राजीव गांधी वार्ड, बीना निवासी, यह बयान करती हूँ कि पूर्व में मेरा नाम अलीना शेख था. अब विगत वर्षों से मेरा नाम अलीना रफीक शेख हो गया है. अब वर्तमान में मेरा यही नाम चलित है, मेरे पासपोर्ट, आधार कार्ड इत्यादि में मेरा नाम अलीना रफीक शेख ही है. अतः मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( अलीना शेख )

(57-बी.)

नया नाम :

( अलीना रफीक शेख )

पुत्री मोहम्मद रफीक शेख,  
निवासी-राजीव गांधी वार्ड, बीना.**नाम परिवर्तन**

मैं, सुमिता चटर्जी पुत्री श्री विजौली भूषण चटर्जी, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी गांधी गंज भारती कुंज मंगल किराना के पास महात्मा गांधी वार्ड क्र. 8, मुड़वारा, कटनी, तहसील कटनी, जिला कटनी (म.प्र.) यह कि विवाह के पूर्व में मेरा नाम सुमिता चटर्जी था एवं विवाह उपरान्त मेरा नाम सुमिता सन्याल धर्मपत्नि श्री गौतम सन्याल, निवासी चंदन कॉलोनी रांझी, जिला जबलपुर हो गया था एवं 25-02-1988 को मेरे पति गौतम सन्याल वल्द श्री के. पी. सन्याल, निवासी जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) वाले से माननीय न्यायालय जबलपुर, जिला जबलपुर से तलाक/विवाह विच्छेद हो चुका है. अतः मैं अपने सम्पूर्ण दस्तावेज व रिकार्ड में विवाह पूर्व का नाम सुमिता चटर्जी पुत्री श्री विजौली भूषण चटर्जी समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेज/रिकार्ड में दर्ज किया जावे एवं इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( सुमिता सन्याल )

(58-बी.)

नया नाम :

( सुमिता चटर्जी )

पुत्री श्री विजौली भूषण चटर्जी.

**नाम परिवर्तन**

मैं, दीपा शर्मा पुत्री श्री नन्दकिशोर शर्मा के पूर्व में दस्तावेज उक्त नाम से हैं. वर्तमान में मैंने अपना नाम बदलकर दिव्या शर्मा पुत्री श्री नन्दकिशोर शर्मा रख लिया है. भविष्य में इसी नाम से मुझे पहचाना जाये.

पुराना नाम :

( दीपा शर्मा )

(59-बी.)

नया नाम :

( दिव्या शर्मा )

पुत्री नन्दकिशोर शर्मा,  
वैरागपुरा, दानाओली, लशकर, ग्वालियर.**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुराना नाम बैदेही कद्रे, निवासी ए-315, आनन्द नगर बहोड़ापुर, ग्वालियर था. अब मैंने अपना नाम बदलकर नम्रता कद्रे रख लिया है. अतः भविष्य में अब मेरा नाम सभी शासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में नम्रता कद्रे के ही नाम से जाना एवं पहचाना जावेगा.

पुराना नाम :

( बैदेही कद्रे )

(61-बी.)

नया नाम :

( नम्रता कद्रे )

ए-315, आनन्द नगर बहोड़ापुर, ग्वालियर (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

मेरा पूर्व में नाम फूलसिंह पिता श्री झल्लू सिंह था. अब मेरा नाम उपनाम सहित फूलसिंह पटेल पिता श्री झल्लू सिंह हो गया है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाये.

पुराना नाम :

( फूलसिंह )

(62-बी.)

नया नाम :

( फूलसिंह पटेल )

पता-म. नं. 7, सी-सेक्टर, सुन्दर नगर,  
अशोका गार्डन, भोपाल (म.प्र.).

**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पूर्व में अपना नाम रंजीता छारी लिखती थी. अब वर्तमान में बदलकर रंजीता ठाकुर किया है. मेरा पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेनकार्ड तथा भवन आदि के अभिलेखों में मेरा नाम रंजीता ठाकुर है. अतः मैं सत्य कथन करती हूँ कि मुझ रंजीता ठाकुर के नाम से मान्यता देकर जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

( रंजीता छारी )

( रंजीता ठाकुर )

(60-बी.)

निवासी-अम्बाह रोड बडोखर शहर, मुरैना.

**नाम परिवर्तन**

मैं, श्रीमती स्नेहाली सोनी पत्नी श्री विकास सोनी, आयु वयस्क, निवास स्थान-डी-2/270, दानिश नगर, घोषणा करती हूँ कि मेरा पूर्व में नाम स्नेहाली लवात्रे पाटिल पत्नी शैलेश पाटिल था जो अब बदलकर स्नेहाली सोनी पत्नी श्री विकास सोनी हो गया है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

( स्नेहाली लवात्रे पाटिल )

( स्नेहाली सोनी )

पत्नी शैलेश पाटिल.

पत्नी श्री विकास सोनी,

(66-बी.)

निवास स्थान-डी-2/270, दानिश नगर,  
केंद्रीय विद्यालय-3, होशंगाबाद रोड, भोपाल.**CHANGE OF NAME**

I, declare that before some time my name was Anurag Joshua Bhambal but now I, have changed it Anurag Joshua Bhambal to Anurag Bhambal. Henceforth my name will be known & written as Anurag Bhambal in all of my document.

Old Name:

New Name :

( ANURAG JOSHUA BHAMBAL )

( ANURAG BHAMBAL )

(69-B.)

HIG-443, Sector E-7,  
Arera Colony, Bhopal (M.P.).**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि अब से पहले मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम धनीराम पुत्र विश्वनाथ एवं काशी बर्मन एवं अन्य कुछ में धनीराम बर्मन पुत्र विश्वनाथ बर्मन एवं काशी बाई बर्मन के नाम से जाना जाता था. जिसमें से अब मैंने अपना नाम परिवर्तन कर दीपक बर्मन कर लिया है. अतः अब से मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नया नाम दीपक बर्मन पुत्र विश्वनाथ बर्मन एवं काशी बाई बर्मन लिखा जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

( धनीराम उर्फ धनीराम बर्मन )

( दीपक बर्मन )

(70-बी.)

पुत्र विश्वनाथ बर्मन एवं काशी बाई बर्मन,  
गैरतलाई, तहसील-विजयराघवगढ़, कटनी ( म.प्र. ).**CHANGE OF NAME**

I, declared that before some time my name was Sukhpal Singh Nagi but now I, have changed it Sukhpal Singh Nagi to Sukhpal Nagi. Henceforth my name will be known & written as Sukhpal Nagi in all of my document.

Old Name:

New Name :

( SUKHPAL SINGH NAGI )

( SUKHPAL NAGI )

(71-B.)

E-2/212, Arera Colony,  
E-2 Sector, Bhopal (M.P.).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व (अंकसूची व पासपोर्ट) में मेरा नाम अजित कुमार श्रीवास्तव था. जिसे मैंने परिवर्तित कर अजित श्रीवास्तव कर लिया था. अतः पासपोर्ट सहित मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम अजित श्रीवास्तव ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

( अजित कुमार श्रीवास्तव )

( अजित श्रीवास्तव )

( AJIT KUMAR SHRIVASTAVA )

( AJIT SHRIVASTAVA )

(72-बी.)

ई-100/18, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.).

**CHANGE OF NAME**

It is to bring kind notice to the people that my son previous name PARTH has been changed to PARTH WADHWANI therefore, in future my son will be known by the his new name only.

**NEETU WADHWANI,**

Add :- 93-94, Janki Nagar,

(73-B.)

Saffron Residency, Indore (M.P.).

**CHANGE OF NAME**

I, SURESH KUMAR HARDIA here by declare that I have change my name as SURESH HARDIYA S/o RAMCHANDRA HARDIYA. So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name:

New Name :

( SURESH KUMAR HARDIA )

( SURESH HARDIYA )

(74-B.)

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है मेरे पुत्र अंकुर शर्मा के नाम से भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी है यह घरू नाम है. सभी दस्तावेजों में जैसे अंकसूची, आधार कार्ड में चिराग शर्मा है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को चिराग शर्मा के नाम से जाना-पहचाना जावे.

**अशोक शर्मा,**

(75-बी.)

पता-लक्कड़ खाना पुल, लशकर, ग्वालियर.

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जा रहा है कि हम यश फ्यूल्स से कौशल प्रसाद मिश्रा जी का स्वर्गवास होने के कारण उन्हें दिनांक 01-03-2017 से फर्म से निकाला जा रहा है तथा उनके बदले में उनके पुत्र पुनित मिश्रा और आशीष मिश्रा को जोड़ा जा रहा है. अगर किसी को भी किसी प्रकार की आपत्ति हो तो हमारे पते मेसर्स यश फ्यूल्स, अमौधा कला, पन्ना-सतना रोड, सतना, जिला सतना मध्यप्रदेश में सूचित करें

द्वारा—यश फ्यूल्स,

**पुनित मिश्रा,**

(50-बी.)

सतना पन्ना रोड, ग्राम अमौधा कला,

मारुती एजेन्सी के पास, शेरगंज, सतना (म. प्र.).

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सिंघई एण्ड कम्पनी स्थित अशोकनगर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/47/01/00158/08, दिनांक 03-03-2008 है. जिसमें दिनांक 31-07-2015 को भागीदार श्री एस. एन. रावत पुत्र श्री राजाराम रावत एवं अंकुर सिंघई पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार सिंघई अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं, आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स सिंघई एण्ड कम्पनी,

**सौरभ कुमार सिंघई,**

(64-बी.)

( भागीदार )

अशोकनगर.

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सतना बिल्डर एण्ड डेवलपर्स जो कि सहायक पंजीयक फर्म एवं संस्थाएं, रीवा संभाग रीवा में रजिस्टर्ड है जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 05/26/01/00080/07 है एवं दिनांक 20-12-2007 से रजिस्टर्ड है में एक पार्टनर सभी की सहमति से सम्मिलित किये गये हैं जिसमें सुनील कुमार शुक्ला तनय श्री लालू प्रसाद शुक्ला, उम्र 36 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 30 महदेता, धवारी, जिला सतना (म.प्र.) को सम्मिलित किया गया है एवं सभी की सहमति एवं स्वेच्छा से दो भागीदार (1) लालू प्रसाद शुक्ला तनय श्रीरामाधार शुक्ला, उम्र 68 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 30 महादेवा, धवारी, सतना, (2) श्रीकांत चतुर्वेदी तनय श्री मदनबिहारी चतुर्वेदी, उम्र 46, निवासी बल्लभ नगर सतना रोड मैहर, जिला सतना फर्म से अलग हो रहे हैं. उपरोक्त संशोधन के बाद से 20 जुलाई, 2012 में मैसर्स सतना बिल्डर एण्ड डेवलपर्स के कुल सदस्य 5 होंगे. वे सदस्य निम्न हैं:- (1) रजनीश तिवारी तनय श्री रामकरण तिवारी, (2) सुनील शुक्ला तनय श्री लालू प्रसाद शुक्ला, (3) विजय तिवारी तनय श्री जगन्नाथ तिवारी, (4) कार्तिकेय कुमार पांडेय तनय श्री रामनिधि पाण्डेय, (5) दिनेश गौतम तनय श्री सुरेश गौतम.

सतना बिल्डर एण्ड डेवलपर्स,  
**विजय तिवारी,**  
(भागीदार).  
सतना (म.प्र.).

(63-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स भाऊ स्टोन मील बदौरा कला, जिला छतरपुर (म.प्र.) के दो भागीदार श्री प्रणव त्रिपाठी पुत्र श्री शिव शंकर त्रिपाठी, निवासी राजेन्द्र नगर कबरई महोबा (उ.प्र.) तथा धमेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र श्री शिवेन्द्र नाथ द्विवेदी, निवासी झालकारी बाई नगर कबरई महोबा (उ.प्र.) दिनांक 20-03-2018 फर्म से अलग हो चुके हैं एवं उनके स्थान पर श्री आदित्या मिश्रा पुत्र श्री जगत नारायण मिश्रा, निवासी ग्राम मलौली थाना गोसाईं गंज लखनऊ (उ.प्र.) नये भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं. अतः जनहित में सूचना प्रकाशित की जा रही है.

मेसर्स भाऊ स्टोन मिल,  
**अखिलेश कुमार द्विवेदी,**  
(भागीदार).

(67-बी.)

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यह फर्म Careermetry Services पंजीयन क्र. 01/01/01/0480/16, दिनांक 21-03-2016 जिसका पता म. नं. 51, थर्ड फ्लोर बंजारी कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल म.प्र. 462042 द्वारा फर्म के दोनों साझेदारों द्वारा फर्म को सह सहमति द्वारा बन्द कर दी गई जिसमें पार्टनर श्रीमती निशा शिजू आयु वयस्क व श्रीमती प्रतिक्षा शर्मा आयु वयस्क द्वारा फर्म को दिनांक 29-03-2018 को बन्द कर दिया है.

**सतीष गावंडे,**  
(एडवोकेट)

147, थर्ड फ्लोर, नियर सुदर्शन पैलस होटल,  
एम. पी. नगर जोन-2, भोपाल.

(68-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स नाकोड़ा मार्केटिंग एसोसिएट्स पार्टनरशिप फर्म के रूप में सहायक पंजीयक, कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं, इन्दौर संभाग, इंदौर में पंजीकृत फर्म है. यहकि, दिनांक 01 अप्रैल, 2007 से सर्व श्री प्रकाशचंद रतनलाल जैन एच. एयू. एफ. तर्फे कर्ता प्रकाश जैन पिता श्री रतलनलाल जैन निवासी 25/6, यशवंत निवास रोड, इन्दौर कमलेश शर्मा पिता श्री राधेश्याम शर्मा, निवासी 564-ए महालक्ष्मी नगर, इन्दौर, हनी तांतेड़ पिता श्री उदय तांतेड़, निवासी 201, साकार नेस्ट, 12/3, दिल पसंद कॉलोनी, इन्दौर एवं अजयकुमार चम्पालाल एच. यु. एफ तर्फे कर्ता अजयकुमार पिता श्री चम्पालाल तांतेड़, निवासी 301, साकार नेस्ट, 12/3, दिल पसंद कॉलोनी, इन्दौर ने फर्म के साझेदार के रूप में इस्तीफा दे दिया है एवं अब फर्म के साझेदार नहीं रहे हैं साथ ही दिनांक 01 अप्रैल, 2007 से श्री उदय तांतेड़ पिता श्री चम्पालाल तांतेड़, निवासी 201, साकार नेस्ट, 12/3, दिल पसंद कॉलोनी, इन्दौर को फर्म के साझेदार के रूप में शामिल

किया गया है। यह कि दिनांक 01 अप्रैल, 2013 को श्री हनी गौरव तांतेड़ पिता श्री उदय तांतेड़, निवासी 201, साकार नेस्ट, 12/3 दिल पसंद कॉलोनी, इन्दौर को फर्म के रूप में शामिल किया गया है एवं फर्म का पता नए स्थान शॉप नम्बर 301, तीसरी मंजिल, नाकोड़ा टावर ए. निहालपुरा, इन्दौर पर परिवर्तित किया गया है। भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 अंतर्गत पालनार्थ सर्व-सूचना है।

मेसर्स नाकोड़ा मार्केटिंग एसोसिएट्स,  
हनी गौरव तांतेड़,  
(पार्टनर).

(65-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स पाण्डेय कंस्ट्रक्शन कम्पनी दुआरी रीवा से सर्व श्री बृजेन्द्र कुमार पाण्डेय पिता राम बंधु पाण्डेय, श्री हीरालाल पाण्डेय पिता बृजवासी पाण्डेय, ऋषि कुमार पाण्डेय पिता बृजेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं श्रीमती सुशीला देवी पाण्डेय पत्नी बृजेन्द्र कुमार पाण्डेय दिनांक 09-08-2017 से फर्म से पृथक् हो गये हैं। शेष श्रीराम जी पाण्डेय पिता बृजेन्द्र कुमार पाण्डेय 75 प्रतिशत एवं श्रीमती रचना पाण्डेय पत्नी रामजी पाण्डेय 25 प्रतिशत के भागीदार रहेंगे।

M/s Pandey Construction,  
राम जी पाण्डेय.

(76-बी.)

## विविध

### निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल, 2018

### निविदा सूचना

क्र.शा.के.मु./भण्डार/(3)/2018-19/1487.—दोहरी लिफाफा पद्धति के अंतर्गत कार्यालय नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के अधिनस्थ क्षेत्रीय मुद्रणालयों ग्वालियर, इन्दौर, रीवा एवं महिला गैस राहत इकाई, भोपाल तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को पेपर एवं अन्य सामग्री के परिवहन कार्य हेतु दरें आमंत्रित की जाती हैं।

- निविदा की शर्तें एवं विवरण विभाग की वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) में अवलोकन हेतु रखा गया है। क्रय की गई निविदा प्रपत्र के साथ रु. 500/- (रुपये पांच सौ मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट संलग्न करने पर ही निविदा प्रपत्र मान्य होगा। वेबसाइट पर निविदा की अन्य शर्तें दी गई हैं। जिसकी पूर्ति करना आवश्यक होगा। निविदा अनुसार लिफाफा "अ" में चाहे गये दस्तावेज एवं लिफाफा "ब" में कामर्शियल पत्रक संलग्न करना होगा।
- निविदा में किसी प्रकार का सुधार/संशोधन/निविदा निरस्तगी की सूचना विभाग की वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) पर दी जावेगी।

निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	दिनांक 02-05-18	समय 04:30 PM
निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 03-05-18	समय 04:30 PM
निविदा का तकनीकी भाग खोलने की तिथि	दिनांक 05-05-18	समय 12:30 PM
निविदा का कॉमर्शियल भाग खोलने की तिथि	दिनांक 07-05-18	समय 12:30 PM

डी. सी. श्रीनिवासा,  
उप नियंत्रक,  
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,  
भोपाल.

(540)

## न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक मंहत शुकदेवदास महाराज पिता परम शिष्य गुरु श्री 1008 स्व. श्री धनश्यामदास, पता-ग्राम धरावराधाम, तहसील देपालपुर,

जिला इन्दौर के द्वारा “श्री हरीधाम लोक मंगल न्यास” कार्यालय पता श्री हरिधाम परिसर हवा बंगला केट रोड ग्राम अहिरखेड़ी, इन्दौर, जिला इंदौर मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा-4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“श्री हरीधाम लोक मंगल न्यास”.
पता	:	कार्यालय पता श्री हरिधाम परिसर हवा बंगला केट रोड ग्राम अहिरखेड़ी, इन्दौर, जिला इंदौर (म.प्र.).
चल सम्पत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति में रुपये 1,11,111/- (अक्षरी रुपये एक लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह) है. जिससे न्यास शुरू किया जा रहा है.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 03 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

बिहारी सिंह,  
रजिस्ट्रार.

(519)

### न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, सीहोर

#### प्रारूप-4

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास 1962 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

जैसा कि श्री हर्षल गांधी आ. गजेन्द्र गांधी, निवासी खजांची लाईन सीहोर ने श्री औसवाल स्थान कवासी जैन महावीर भवन खजांची लाईन महावीर मार्ग छावनी, सीहोर का प्रकाशन मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 21 मई, 2018 को विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों वह इस सूचना के प्रकाशन के 01 माह के अंदर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव 02 प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।

उपरोक्त अवधि के अवसार के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लाया जावेगा.

### अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम	:	श्री औसवाल स्थानकवासी जैन महावीर भवन.
2. अचल सम्पत्ति	:	नजूल शीट क्र. 99 भू-खण्ड क्र. 188 क्षेत्रफल 407.50 वर्गमीटर.
3. चल सम्पत्ति	:	5500/- रुपये.

राजकुमार खत्री,  
अनुविभागीय अधिकारी.

(520)

## न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, सारंगपुर, जिला राजगढ़

प्र.क्र./बी-113/2017-18.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 की धारा-5(2) देखिए]

शीर्षक:-सरदार वल्लभ भाई पटेल मानव सेवा ट्रस्ट पंजीयक लोक न्यास के समक्ष.

चूंकि श्री राजेन्द्र प्रसाद पाटीदार, निवासी शिवधाम कॉलोनी पचोर द्वारा जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 के अंतर्गत जो कि एक पंजीकृत धार्मिक एवं सामाजिक सेवा गतिविधि स्वरूप का होगा के पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया. जिसकी चल-अचल संपत्ति परिशिष्ट में दर्शाई गई है. सर्व-संबंधित को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे न्यायालय में विचारार्थ नियत है. जो भी व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो इसके बारे में कोई सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस अधिसूचना द्वारा सूचना दी जाती है कि वह अवधि सूचना प्रकाशन से 30 दिवस के अन्दर सुझाव, आपत्ति दो प्रति में स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें

उक्त नियत अवधि के पश्चात् सुझाव-आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

### “परिशिष्ट-अ”

(लोक न्यास का नाम और पता एवं सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम : सरदार वल्लभ भाई पटेल मानव सेवा ट्रस्ट  
शिवधाम कॉलोनी पचोर, जिला राजगढ़ (म.प्र.).
2. न्यास की चल सम्पत्ति का विवरण : रु. 5100/- (अक्षरी इक्यावन सौ मात्र)
3. न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण : निरंक.

उक्त विज्ञप्ति आज दिनांक 31 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई.

एस. एल. सोलंकी,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(524)

## न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन

प्रकरण क्र.0016/बी-113/2017-18.

उज्जैन, दिनांक 07 अप्रैल, 2018

### प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,

उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूंकि आवेदक श्री शांतिलाल पिता राजमलजी जैन अध्यक्ष के द्वारा श्री संभवनाथ जैन, श्वेताम्बर मूर्ति पूजक ट्रस्ट, उज्जैन, निवासी-111, दशहरा मैदान, उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 27 अप्रैल, 2018 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 27 अप्रैल, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा(1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और मेरे कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.



**अनुसूची**

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	:	“श्री संभवनाथ जैन, श्वेताम्बर मूर्ति पूजक ट्रस्ट, उज्जैन”.
कार्यालय	:	111, दशहरा मैदान, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	:	मकान नम्बर 20 व 21/1 लाला लाजपतराय मार्ग, फाजलपुरा, उज्जैन, आवेदन-पत्र अनुसार.
चल सम्पत्ति	:	निरंक (बैंक खाता पासबुक संलग्न नहीं)

(526)

**शितिज शर्मा,**  
पंजीयक एवं डिप्टी कलेक्टर.

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी/पंजीयक, पब्लिक ट्रस्ट बरेली, जिला रायसेन**

[धारा-5(2)मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (30 सन् 1951) और 5 (1) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट 1962 के अंतर्गत]

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूची में दिये गये जायदाद मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा उप-धारा (4) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट है.

अतएव मैं, डी. एस. तोमर, पंजीयक, ट्रस्ट उक्त एक्ट की धारा-5 की उपधारा (1) के अनुसार अपने न्यायालय में दिनांक 27-10-17 इस मामले की जांच करना चाहता हूँ.

अतः यह सूचना दी जाती है कि निर्माकित ट्रस्ट का कोई व्यक्ति ट्रस्ट की कार्यवाही में सदस्य या अन्य कोई व्यक्ति रुचि रखने वाला आपत्ति या सुझाव प्रकट करना चाहता है तो लिखित उत्तर दो प्रतियों में सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करें, और उपरोक्त दिनांक को स्वयं या किसी अधिवक्ता या अधिकृत एजेंट द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

**अधिसूची**

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता और चल/अचल संपत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता: शांतेश्वरी चौधरी चौकी बरेली, तहसील बरेली, जिला रायसेन.

(1) कार्यकारी न्यासी एवं प्रबंधकों का विवरण :-

1. श्रीमति शांतिबाई पत्नि नारायण सिंह किरार	अध्यक्ष
2. श्री हरिसिंह खोजर आत्मज करोडीलाल खोजर	उपाध्यक्ष
3. श्री लक्ष्मीनारायण आत्मज बद्रीप्रसाद शर्मा	सचिव
4. श्री मंशाराम आत्मज नाथूराम किरार	सहसचिव
5. श्री गनपत सिंह आत्मज नन्हेलाल किरार	कोषाध्यक्ष
6. श्री खेमचंद आत्मज हल्केवीर	सदस्य
7. श्री बृजमोहन आत्मज हरिराम किरार	सदस्य
8. श्री रमेश कुमार आत्मज बाबूलाल चौधरी	सदस्य
9. श्री हरीशंकर आत्मज जयकिशन किरार	सदस्य
10. श्री दलीप सिंह आत्मज मोहन सिंह किरार	सदस्य
11. श्री प्रेमसिंह आत्मज बालकिशन किरार	सदस्य
12. श्री युद्धवीर सिंह आत्मज बलराम किरार	सदस्य
13. श्री नरेन्द्र सिंह आत्मज लच्छीराम किरार	सदस्य
14. श्री नर्वदा प्रसाद आत्मज हल्केवीर किरार	सदस्य

- |   |       |
|---|-------|
| 15. श्री मुकेश कुमार आत्मज रामसेवक किरार  | सदस्य |
| 16. श्री शिवराज आत्मज श्रीराम चौहान       | सदस्य |
| 17. श्री प्रदीप कुमार आत्मज नाथूराम किरार | सदस्य |

1. न्यासधारी या प्रबंधक के उत्तराधिकार की नीति न्यास विलेख के अनुसार रहेगी.
2. न्यास सृजित करने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे संलग्न दस्तावेज के अनुसार रहेंगे.
3. न्यास के संबंध में यदि कोई स्कीम हो तो उसके ब्यौरे संलग्न दस्तावेज न्यास विलेख के अनुसार रहेंगे.

**उद्देश्य :-** मंदिर का उद्देश्य आम जनता की धार्मिक भावनाओं के साथ अपना जीवन सुधारने का है.

(अ) अचल सम्पत्ति का विवरण:-

1. कृषि भूमि स्थित ग्राम सुल्तानपुर, तहसील बरेली, जिला रायसेन मध्यप्रदेश खसरा क्र. 142 रकबा 3.374 हे. लगान 14.87 रुपये जो वर्तमान में श्री श्री दुर्गा मंदिर चौधरी चौक बरेली प्रबंधक शांतिबाई पुत्री नारायण सिंह पत्नि नारायण सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है.
2. यह की ग्राम सुल्तानपुर तहसील बरेली, जिला रायसेन मध्यप्रदेश में मंदिर के पीछे 24x20 फिट का पक्का मकान एवं डालिया पुजारी के रहने के व्यवस्था हेतु.

(ब) चल सम्पत्ति का विवरण:-

1. 4,51,000 रुपया मंदिर की लागत व चांदी की थाली, गिलास, चांदी कटोरी, चांदी बनज 300 ग्राम कीमत लगभग 9000, भगवत की आभूषण छत्र, मुकुट, त्रिशूल, सभी चांदी के अनुमानित कीमत 40,000 रुपयों, सोने का हार, झुमकी सोनी की, अनुमानित कीमत 1,00,000/- रु. तांबे का पंचपात्र, आचमनी, दो-दो लोटे जिनकी अनुमानित कीमत 4000/- रु गडूर घण्टी नग-1, आरती नग-1, घण्टा नगर-3, वजन 25 किलो अनुमानित कीमत 8000 रु. भोजन के वर्तन दो थाली दो लोटा एक कढ़ाई दो गिलास एक गंजी एक डंका प्लेट-2 स्टील के वर्तन स्टेण्ड कीमत 2000 रुपये, इन्वेटर सेट कीमत 18000 रु. माईक सेट दो वक्स दो माउथ दो यूनिट कीमत 10,000 रु. भूमि की आय अनुमानित वर्ष भर में मंदिर की 50,000/- रु.

(2) न्यास की आय के स्रोत:-

न्यास की प्रमुख आमदानी का स्रोत कृषि आय एवं न्यासी सदस्यों एवं दानदाताओं द्वारा दान की गई धनराशि है इसके अतिरिक्त न्यास शासन प्रदेश केन्द्र निगमित निकाय एवं अन्य किसी सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करेगा.

(3) औसत वार्षिक आय :- 50,000/- रु. (अक्षरी पचास हजार रुपये) प्रतिवर्ष.

5. अन्य विवरण:-

न्यास की सदस्यता प्रबंधकारकों का गठन, उद्देश्य, दैनिक कार्यों की देखरेख वित्तीय कार्यों की देखरेख, पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य से संबंधित है.

उक्त प्रस्तावित न्यास के सदस्यों/प्रबंधकों के सम्बंध में भी यदि किसी को आपत्ति हो वह दिनांक 10 मई, 2018 को अथवा उसके पूर्व स्वयं या अपने अधिभाषक के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है.

(527)

दिनेश सिंह तोमर,  
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

**न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लश्कर, जिला ग्वालियर**

प्र.क्र. 02/बी-113(4)/2017-18.

ग्वालियर, दिनांक 17 अप्रैल, 2018

**प्ररूप क्रमांक-4**

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) के द्वारा]

यतः कि प्रेमनारायण गुप्ता कार्यकारी न्यासी "शिवहरे वैश्य 'कलार समाज' लोक न्यास मंदिर मूर्ति लक्ष्मीनारायण, नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर" ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-9 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट लोक न्यास के न्यासियों के

स्थान पर नवीन नियुक्त न्यासियों के नाम न्यास पंजी में अंकित किये जाने हेतु आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 15 मई, 2018 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

अतः मैं, विनोद सिंह, अनुविभाग लश्कर लोक न्यास का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 15 मई, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए, कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

### अनुसूची

“शिवहरे वैश्य ‘कलार समाज’ लोक न्यास मंदिर मूर्ति लक्ष्मीनारायण, नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर”

परिवर्तन का स्वरूप	परिवर्तन के लिये कारण	अभियुक्तियां यदि कोई हो
1	2	3
न्यासीगणों की मृत्यु होने के कारण रिक्त स्थान पर नवीन न्यासियों की नियुक्ति न्यास की बैठक दिनांक 27-08-2017 के अनुसार	श्री लल्लूराम शिवहरे श्री घनश्यामदास जायसवाल श्री श्रीकृष्ण जायसवाल श्री फूलचन्द शिवहरे श्री हरीकृष्ण शिवहरे श्री रतनलाल शिवहरे (सभी फोट)	श्री चिरोंजीलाल शिवहरे श्री सुरेशचन्द्र शिवहरे श्री लक्ष्मीनारायण शिवहरे श्री रामस्वरूप शिवहरे श्री रघुवीर राय श्री पुरुषोत्तम राय (नवीन नियुक्त न्यासी)

आज दिनांक 17 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(528)

प्र.क्र. 05/बी-113(1)/2017-18.

ग्वालियर, दिनांक 12 अप्रैल, 2018

#### प्ररूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) के द्वारा]

यतः कि डॉ. श्री प्रकाश लोहिया पुत्र श्री रामचरण लोहिया, निवासी जनक हॉस्पिटल, जिंसी मार्ग नं. 3, लश्कर न्यासी “श्री महर्षि बाल्मीक सेवा न्यास, संजय नगर, लक्ष्मीगंज, लश्कर, ग्वालियर”, ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 10 मई, 2018 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

अतः मैं, विनोद सिंह, अनुविभाग लश्कर लोक न्यास का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 10 मई, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए, कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता : “श्री महर्षि बाल्मीक सेवा न्यास, संजय नगर, लक्ष्मीगंज, लश्कर, ग्वालियर”.

2. न्यास की चल सम्पत्ति : तखत, 4 कुर्सियां, 2 बेंचे, 1 सन्दूक, सिलाई मशीन, टिल्लू पंप कुल कीमत 11,200.
3. न्यास की अचल सम्पत्ति : भवन क्रमांक क्षेत्र क्र. 16 वार्ड क्र. 37 कुल क्षेत्रफल 94.45 वर्गमीटर.

आज दिनांक 12 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(529)

प्र.क्र. 04/बी-113(1)/2017-18.

ग्वालियर, दिनांक 12 अप्रैल, 2018

**प्ररूप क्रमांक-4**

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) के द्वारा]

यतः कि डॉ. निर्मल कुमार जैन पुत्र स्व. श्री शांतिचंद जैन, निवासी नया बाजार, गणेश कॉलोनी, लशकर, ग्वालियर संस्थापक न्यासी “श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर खण्डेलवाल जैन बीसपंथी मंदिर न्यास”, ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 10 मई, 2018 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

अतः मैं, विनोद सिंह, अनुविभाग लशकर लोक न्यास का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 10 मई, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए, कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

**अनुसूची**

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता : “श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर खण्डेलवाल जैन बीसपंथी मंदिर न्यास” दौलतगंज, लशकर, ग्वालियर”.
2. न्यास की चल सम्पत्ति : निल.
3. न्यास की अचल सम्पत्ति : भवन क्रमांक 36/265, दौलतगंज, लशकर, ग्वालियर.

आज दिनांक 12 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(530)

प्र.क्र. 03/बी-113(1)/2017-18/277.

ग्वालियर, दिनांक 06 अप्रैल, 2018

**प्ररूप क्रमांक-4**

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) के द्वारा]

यतः कि श्री सुरेशचन्द्र बंसल पुत्र स्व. श्री वासुदेव प्रसाद जी बंसल, निवासी बंसल भवन, बक्षी की गोठ, जनकगंज, ग्वालियर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 27 अप्रैल, 2018 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

अतः मैं, विनोद सिंह, अनुविभाग लशकर लोक न्यास का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 27 अप्रैल, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए, कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता : “श्री वासुदेव प्रसाद बंसल बैकुण्ठी देवी चैरीटेबल ट्रस्ट”.  
बंसल भवन, बक्षी की गोठ, जनकगंज, लश्कर, ग्वालियर.
2. न्यास की चल सम्पत्ति : 81,000/-
3. न्यास की अचल सम्पत्ति : ग्राम कैलादेवी सर्वे क्रमांक 2561/7 क्षेत्रफल 15.76 वर्गमीटर एवं 14 विस्वा भूमि.

आज दिनांक 06 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(531)

प्र.क्र. 05/बी-113(4)/2017.18/278.

ग्वालियर, दिनांक 06 अप्रैल, 2018

### प्ररूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) के द्वारा]

यतः कि श्री गोविंद प्रसाद कामरा अध्यक्ष “संत सतरामदास चेरिटेबल ट्रस्ट गाडवे की गोठ, लश्कर” ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-9 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट लोक न्यास के न्यासियों के स्थान पर नवीन नियुक्त न्यासियों के नाम न्यास पंजी में अंकित किये जाने हेतु आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 27 अप्रैल, 2018 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

अतः मैं, विनोद सिंह, अनुविभाग लश्कर लोक न्यास का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 27 अप्रैल, 2018 को उक्त अधि नियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए, कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

### अनुसूची

#### “संत सतरामदास चेरिटेबल ट्रस्ट गाडवे की गोठ, लश्कर”

परिवर्तन का स्वरूप	परिवर्तन के लिये कारण	अभियुक्तियां यदि कोई हो
1	2	3
न्यासीगणों के त्याग-पत्र दिये जाने के कारण	न्यासी श्री कन्हैयालाल गावरा, अशोक कुमार जैसवानी द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के कारण न्यास की बैठक दिनांक 04-02-2018 में पारित संकल्प के अनुसार	न्यास की बैठक दिनांक 04-02-2018 में दो रिक्त स्थानों पर नये न्यासीगण श्री दिलीप चन्द्राणि पुत्र स्व. श्री नारायणदास चंद्राणी एवं श्री अमर पंजवानी पुत्र श्री अर्जुन दास पंजवानी की नियुक्ति की गई।

आज दिनांक 06 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

विनोद सिंह,  
पंजीयक.

(532)

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्टर्ड, पब्लिक ट्रस्ट, रा. परि. टी. टी. नगर, भोपाल**

प्र.क्र.84/बी-121/2017-18.

**प्रारूप-4**

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश न्यास नियम-1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि (अनसूया ट्रस्ट) द्वारा श्रीमती प्रीति बाला शान्त, मैनेजिंग ट्रस्टी सचिव अनसूया ट्रस्ट द्वारा मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन, मायाराम सुरजन स्मृति भवन, पी. एण्ड टी. चौराहा, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर ट्रस्ट में किये गये बदलाव ट्रस्ट के पूर्व सदस्य इस्तीफा देने तथा कुछ ट्रस्टियों की मृत्यु होने पर नये ट्रस्टियों के नाम ट्रस्ट में जोड़े जाने की सूचना हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 16 अप्रैल, 2018 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वह इस सूचना के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा.

**अनुसूची**

- |                  |   |                |
|------------------|---|----------------|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | अनसूया ट्रस्ट. |
| 2. अचल संपत्ति   | : | निल.           |
| 3. चल संपत्ति    | : | निल.           |

आज दिनांक 24 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(533)

**संजय कुमार श्रीवास्तव,**  
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

**अन्य सूचनाएं**

**कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा**

आगर-मालवा, दिनांक 07 अप्रैल, 2018

**संशोधित आदेश**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/590.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/178, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 द्वारा नवीन चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्या., आगर, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 379, दिनांक 09 जनवरी, 1986) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री गोपाल माहेश्वरी, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

श्री गोपाल माहेश्वरी, उप अंकेक्षक का स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप श्री गोपाल माहेश्वरी, उप-अंकेक्षक के स्थान पर सहकारिता विस्तार अधिकारी आगर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522)

**श्वेता रावत,**  
प्रभारी उप-पंजीयक.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 मई, 2018-वैशाख 14, शके 1940

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 15 नवम्बर, 2017

- 1. मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में प्रायः आकाश शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है।
- 2. जुताई.**— जिला ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, नीमच, धार, सीहोर, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी में जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।
- 3. बोनी.**— जिला आगरा व धार में गेहूँ, चना, डिण्डोरी में गेहूँ, चना, अलसी, मटर, सतना में गेहूँ, अलसी, चना, मसूर, राई-सरसों, जिला गुना में गेहूँ, चना, अलसी, मसूर व राई-सरसों की बोनी चालू एवं ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, मंदसौर, नीमच, देवास, इन्दौर, बड़वानी, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी व बालाघाट में रबी फसलों की बोनी कहीं-कहीं पर चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।
- 4. फसल स्थिति.**—जिला सतना में धान फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव, जिला शहडोल में कोदों, तिल, धान में अल्पवर्षा से 40 प्रतिशत क्षति, जिला नरसिंहपुर में सोयाबीन फसल पर ऐलामैजिक रोग तथा उड़द, मूंग पर मौसमी दुष्प्रभाव का होना प्रतिवेदित किया गया है।
- 5. कटाई.**— जिला बुरहानपुर में कपास की चुनाई, अनूपपुर, सीहोर, डिण्डोरी व बालाघाट में धान की, बैतूल में सोयाबीन, मूंगफली, धान, मक्का की कटाई एवं जिला दमोह, सीधी, उज्जैन, खरगौन, सिवनी में खरीफ फसलों की कटाई कहीं-कहीं पर चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।
- 6. सिंचाई.**— जिला मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, सतना, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, बड़वानी, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा व जबलपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा तथा राज्य के शेष जिलों में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।
- 7. पशुओं की स्थिति.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है।
- 8. चारा.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं के लिये चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
- 9. बीज.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
- 10. खेतिहर श्रमिक.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 15 नवम्बर, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) बाजरा, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़	. . . . . . . . . . . .				
<b>2. जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) धान, गन्ना, बाजरा, मक्का, तिल, तुअर, मूँग, उड़द, सोयाबीन, ज्वार, कपास समान. (2) धान, गन्ना, ज्वार, तुअर, ग्वार, कपास सुधरी. शेष फसलें बिगड़ी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा	. . . . . . . . . .				
<b>3. जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. गोरमी 8. मौ 9. रौन	. . . . . . . . . . . . . . . . . .				
<b>4. जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चिनोर 5. घाटीगांव	. . . . . . . . . .				
<b>5. जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू.	3. . . 4. (1) गन्ना अधिक. (2) उपरोक्त फसल समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. इन्दरगढ़ 4. बढौनी 5. भाण्डेर	. . . . . . . . . .				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>6. जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .				
2. पिछोर	. .				
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बैराढ़	. .				
9. बदरवास	. .				
<b>7. जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) उड़द, मक्का अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	. .				
2. ईसागढ़	. .				
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
<b>8. जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. फसल गेहूँ, चना, राई- सरसों, धनिया व मसूर की बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	. .				
2. राघोगढ़	. .				
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	. .				
<b>9. जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. रबी हेतु जुताई चालू रबी की बोनी चालू.	3. . . 4. (1) ज्वार, अरहर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .				
2. पृथ्वीपुर	. .				
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	. .				
<b>10. जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . . 4. (1) धान, तिल अधिक. तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .				
2. गौरीहार	. .				
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामल्हरा	. .				
8. महाराजपुर	. .				
9. धुवारा	. .				
10. लवकुश नगर	. .				
11. बक्सवाहा	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>11. जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसल बुवाई कार्य प्रारम्भ.	3. . . 4. (1) धान, ज्वार, बाजार, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..				
2. पन्ना	..				
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. रेपुरा	..				
6. अमानगंज	..				
7. देवेन्द्र नगर	..				
8. सिमारिया	..				
9. शाहनगर	..				
<b>12. जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी कम. (2) उपरोक्त फसलें कम हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	..				
2. खुरई	..				
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. कंसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				
<b>13. जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है. रबी की बोनी चालू, खरीफ की कटाई चालू.	3. . . 4. (1) गन्ना, ज्वार, धान, तुअर, चना, मटर, गेहूँ, जौ, राई-सरसों, तिवड़ा सुधरी. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>14. जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. गेहूँ, चना, मसूर, अलसी राई-सरसों की बोनी कार्य चालू. धान की फसल पर रोग व कीड़ों का आंशिक प्रभाव.	3. . . 4. (1) अरहर सामान्य. धान बिगड़ी. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. कोठर	..				
10. बिरसिंहपुर	..				
<b>15. जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू.	3. . . 4. (1) चना, मसूर, अलसी, तुअर अधिक. गेहूँ, जौ, राई-सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हुजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. मनगवां	..				
8. सेमरिया	..				
9. जवा	..				
10. नईगढ़ी	..				
11. रायपुरकर्चुलियान	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>16. जिला शहडोल:</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है। बोनी चालू है।	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .	बोनी चालू है।	4. (1) कोदों, सोयाबीन समान	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .	कोदों, तिल, धान फसलों	धान, मक्का, तुअर, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	. .	में अल्पवर्षा से 40%	तिल अधिक.		
4. बुढ़ार	. .	क्षति है.	(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी		
5. गोहपारू	. .		हुई.		
6. जैतपुर	. .				
<b>17. जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य प्रारम्भ	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .	धान फसल की कटाई	4. (1) धान, तुअर, कोदों-राई,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .	चालू.	अलसी, मसूर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .		(2) धान बिगड़ी, शेष फसलें		
4. पुष्पराजगढ़	. .		समान.		
<b>18. जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है। रबी फसल की बोनी	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .	चालू है.	4. (1) उड़द, अरहर, ज्वार, तिल अधिक	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		मक्का, कोदों-कुटकी, मूंगमोट	चारा पर्याप्त.	
3. चँदिया	. .		समान हैं. धान कम है.		
4. नौरोजाबाद	. .		(2) धान बिगड़ी हुई.		
5. मानपुर	. .		शेष फसलें समान हैं.		
<b>19. जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. रबी फसलों की बोनी	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .	चालू खरीफ की कटाई	4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .	चालू.	गेहूँ, मसूर, जौ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	. .				
<b>20. जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है। बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) ज्वार, राहर, कोदों, धान,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		अलसी, राई कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सरई	. .		(2) धान बिगड़ी हुई. शेष		
4. माडा	. .		फसलें समान हैं.		
5. सिंगरौली	. .				
<b>21. जिला मंदसौर :</b>	मिलीमीटर	2. रबी बोनी चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरटप्पा	. .		4. (1) गेहूँ, चना असमान है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधडक्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>22. जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2 जुताई चालू बोनी चालू	3. . . 4.(1) गेहूँ, राई-सरसों कम. चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. सिंगौली	..				
4. जीरन	..				
5. रामपुर	..				
6. मनासा	..				
<b>23. जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2 . .	3. . . 4.(1) गेहूँ, चना कम. (2) उपरोक्त फसल समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. ताल	..				
6. रावटी	..				
7. पिपलोदा	..				
8. रतलाम	..				
<b>24. जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2 कटाई कार्य प्रचलित.	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, आलू, प्याज, लहसुन समान्य. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
<b>25. जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2 फसल, गेहूँ व चना की बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
<b>26. जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4.(1) तुअर, चना अधिक. गेहूँ, लहसन, प्याज कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. पोलाय कलां	..				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..				
7. गुलाना	..				
<b>27. जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4.(1) ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, तिल, मूंगफली अधिक. सोयाबीन, कपास कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. हाटपिपल्या	..				
7. सतवास	..				
8. उदयनगर	..				
9. खातेगांव	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>28. जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) मक्का, ज्वार, उड़द, कपास, मूंगफली अधिक है. सोयाबीन कम है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
<b>29. जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) ज्वार, कपास, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. भामरा	. .				
6. उदयगढ़	. .				
7. चन्द्रशेखर आ. नगर	. .				
<b>30. जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. गेहूँ, चना की बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का, कपास, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
<b>31. जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी प्रारम्भ.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. हातोद	. .				
5. महु	. .				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
<b>32. जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) कपास अधिक. धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, तुअर, मूंगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	. .				
<b>33. जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. रबी में बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना, मक्का समान. ज्वार, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. अंजड	. .				
8. बरला	. .				
9. निवाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>34. जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) मूँफली, तुअर, कपास, उड़द, अधिक. सोयाबीन, ज्वार कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	. .		(2) . .		
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	. .				
5. हरसूद	. .				
<b>35. जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. कपास की चुनाई प्रारम्भ.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) तुअर कम. कपास.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी.		
3. नेपानगर	. .				
<b>36. जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	. .		(2) . .		
3. खिलचीपुर	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
<b>37. जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) धान, ज्वार समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी.		
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. समसाबाद	. .				
9. त्योंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	. .				
<b>38. जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गोहूँ, चना, मसूर, तिबड़ा, मटर समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बैरागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. हुजूर	. .				
<b>39. जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है. रबी फसलों की बोनी चालू. धान की कटाई चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) ज्वार, तुअर, गोहूँ, चना, कम. गन्ना समान. मसूर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. इच्छावर	. .				
4. नसरूल्लागंज	. .				
5. रेहटी	. .				
6. श्यामपुर	. .				
7. जावर	. .				
8. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>40. जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4 (1) धान, सोयाबीन, तुअर, मक्का	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		ज्वार.		
4. गोहरगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
<b>41. जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. सोयाबीन, धान, मक्का,	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	. .	मूँगफली, खरीफ फसल	4 (1) मक्का अधिक. सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	. .	कम. कटाई कार्य चालू है.	धान कम.	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
<b>42. जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. गेहूँ चना की बोनी चालू	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	. .	है.	4 (1) धान, उड़द अधिक. सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिवनी मालवा	. .		मक्का, मूँग, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई हैं.		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढी	. .				
<b>43. जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4 (1) उड़द, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हॉडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
<b>44. जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .	बोनी कार्य चालू	4 (1) धान, तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी.	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	. .				
4. पाटन	. .				
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
<b>45. जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4 (1) तुअर.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	. .				
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी)	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>46. जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.. बोनी चालू है. सोयाबीन पर पीला मोजेक उड़द, मूंग-मौसमी दुष्प्रभाव आक्रमण.	3. . . 4. (1) सोयाबीन, मूंग समान. तुअर, धान, उड़द, गन्ना अधिक. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>47. जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . . 4. (1) धान, कोदों-कुटकी, मक्का, सोयाबीन, तिल, रामतिल, समान. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>48. जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. गेहूँ, चना, अलसी, मटर, की बोनी चालू है. धान फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) धान, कोदों-कुटकी, तुअर, रामतिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>49. जिला छिंदवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>50. जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी कार्य चालू खरीफ की कटाई चालू	3. . . 4. (1) ज्वार, समा, उड़द, सोयाबीन, गन्ना अधिक. धान, मक्का, कोदों, तुअर, मूंग, तिल, सन, रामतिल, अम्बाड़ी कम. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>51. जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी चल रही है. धान कटाई कार्य लगभग 80% हो चुकी है.	3. . . 4. (1) धान सामान्य. (2) धान सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

आर. पी. भारती,  
संयुक्त आयुक्त,  
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.